

ऋण अनुबंध

इस ऋण समझौते ("समझौते") को इस **12th** दिन **Aug, 2024** ("निष्पादन की तारीख") में दर्ज किया जा रहा है।

निम्न के मध्य

MPOCKET FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED, फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक RBI पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या U65999WB2019PTC233120, और इसका पंजीकृत कार्यालय PS Srijan Corporate Park, Unit-1204, Tower-I Plot-G2, Street No 25, GP Block, Sector V, Kolkata - 700091, West Bengal पश्चिम बंगाल को इसके बाद ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है (जिस अभिव्यक्ति को विषय और संदर्भ के प्रतिकूल होने तक इसके उत्तराधिकारी, नवागत, स्थानान्तरित, नामांकित और असाइन करने वाले को शामिल करने के लिए समझा जाएगा) **पहला भाग;**

और

gadde pullarao के बेटा/बेटी **Naveen Gadde**, जिनका PAN number BVRPG5840B, नंबर भारतीय नागरिक **hno-5-42, kistaram, khammam., KHAMMAM, TELANGANA, 507303**, पर रहते हैं, "ऋणकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाता है (जो अभिव्यक्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि विषय और संदर्भ के लिए प्रतिपूर्ति को **दूसरे भाग** के ऋणकर्ता के उत्तराधिकारियों को शामिल करने के लिए) के संदर्भ में नहीं माना जाता है।

यहां के बाद ऋणदाता और ऋणकर्ता को व्यक्तिगत तौर पर "पक्ष" और सामूहिक रूप से "पक्षों" के तौर पर उल्लेखित किया जाएगा।

अतएव

- ऋणकर्ता, मेब्राइट वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड/Maybright Ventures Private Limited ("लेंडिंग सेवा प्रदाता") के प्रबंधन व स्वामित्व वाले 'mPocket' (डिजिटल लेंडिंग ऐप "DLA") का पंजीकृत उपयोक्ता है, जिसने ऋणदाता से वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध किया है। ऋणदाता इस अनुबंध में उल्लेखित नियमों और शर्तों के तहत मूलधन (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) को अग्रिम में देने के लिए सहमत हुआ है।
- पक्ष, अब ऋणकर्ता की ऋण आवश्यकताओं के संबंध में, जिसका वित्तपोषण इस अनुबंध में दी गई शर्तों में ऋणदाता द्वारा किया जा रहा है, ऋणकर्ता के प्रतिज्ञापत्रों और अभिवेदनों सहित, प्रावधानों को रिकॉर्ड करते हुए इस अनुबंध का क्रियान्वयन करने के लिए सहमत हो गए हैं।

यहां पर निर्धारित की गई आपसी प्रतिज्ञाओं और अनुबंधों के लिहाज से, और अन्य अच्छे और महत्व के सोच विचार के लिए, जिसकी रसीद और पर्याप्तता की स्वीकृति दी जाएगी, पक्ष इस अनुबंध के साथ कानूनी तौर बाध्य होना चाहते हैं, एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होते हैं:

अब यह अनुबंध निम्न प्रकार प्रमाणित करता है:

1. परिभाषाएं और निवेदन

इस अनुबंध में निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के अर्थ निम्नलिखित होंगे, जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता कुछ और न हो:-

- "समझौते" का अर्थ है यह समझौता, जो इसकी तारीख के अनुसार है और जो इसके प्रावधानों के अनुसार संशोधित या अनुपूरक के साथ-साथ अनुसूची, संलग्नक है और/या भविष्य में संलग्न किया जा सकता है;
- "लागू कानून" का अर्थ है कोई भी विधि, कानून, अधिनियम, विनियमन, अध्यादेश, नीति, संधि, नियम, निर्णय, अधिसूचना, आदेश, दिशानिर्देश, आवश्यकताएं, साधारण विधि नियम, आदेश, न्यायिक निर्णय, उपनिर्णय, परमिट, लाइसेंस, मंजूरीयां, सहमतियां, अधिकरण, सरकारी स्वीकृतियां, या कोई शर्तें या प्रतिबंध, या समान प्रकार के कोई निर्णय, या अदालती फैसले, या कानूनी बल रखने वाला कोई विवेचन या घोषणा, विवादास्पद मामले पर निर्णय करने का अधिकार रखने वाला कोई सरकारी प्राधिकरण, चाहे यह निष्पादन तिथि के पहले हो या इसके बाद;
- "वार्षिक प्रतिशत दर (APR)" का अर्थ TD अनुसूची में वर्णित किए गए अनुसार है;
- "वार्षिक निश्चित ब्याज दर" का अर्थ TD अनुसूची में वर्णित किए गए अनुसार है;
- "कारोबारी दिन" का अर्थ है परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत किसी सार्वजनिक अवकाश या रविवार को छोड़कर कोई दिन, जिस दिन व्यापार के स्थान (स्थानों) पर बैंक आम कारोबार के लिए खुले हों;

- f. **“डिजिटल लेंडिंग ऐप (DLA)”** का आशय ऋणकर्ता और ऋणदाता के बीच ऋण लेनदेन सुगम बनाने वाले उपयोक्ता इंटरफेस के साथ मोबाइल और वेब-आधारित ऐप्लिकेशन “mPokket” से है;
- g. **“डिफाल्ट नोटिस”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इस अनुबंध के खंड 4 में दिया गया है;
- h. **“संवितरण राशि”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे टीडी अनुसूची में दिया गया है;
- i. **“छूट राशि”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे टीडी अनुसूची में दिया गया है;
- j. **“धोखाधड़ी की घटना” or “धोखाधड़ी”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इस अनुबंध के खंड 4 में दिया गया है;
- k. **“अंतिम पुनर्भुगतान तारीख”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे टीडी अनुसूची में दिया गया है;
- l. **“बीमा प्रीमियम”** का अर्थ इस समझौते के अनुसार ऋण सुविधा का लाभ उठाते समय ऋणकर्ता द्वारा चुनी गई सुविधा राशि से काटा गया बीमा शुल्क होगा।
- m. **“बीमा प्रभार”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे टीडी अनुसूची में दिया गया है;
- n. **“ब्याज की राशि”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे टीडी अनुसूची में दिया गया है;
- o. **लुक-अप अवधि** का अर्थ ऋण वितरण के समय से 72 घंटे की अवधि से है जिस दौरान यदि ऋणकर्ता ऋण नहीं लेना चाहता है तो वह अपने ऋण से बाहर निकल सकता है या अपना ऋण निरस्त कर सकता है;
- p. **“लेंडिंग सेवा प्रदाता (LSP)”** का अर्थ ऋणदाता द्वारा, ग्राहक अर्जन, हामीदारी सहायता, कीमत निर्धारण सहायता, वितरण, सेवा, निगरानी, कलेक्शन, विशिष्ट ऋण या ऋण पोर्टफोलियो का परिसमापन आदि के संबंध में ऋणदाता के एक या अधिक कार्य करने के लिए नियुक्त एजेंट से है।
- q. **“ऋण प्रबंधन शुल्क”** का अर्थ टीडी अनुसूची में इसके लिए निर्धारित किया जाएगा;
- r. **“अन्य उत्पाद/सेवाओं”** का अर्थ इस समझौते के अनुसार ऋण सुविधा का लाभ उठाते समय ऋणकर्ता द्वारा चुने गए उत्पादों/सेवाओं से होगा।
- s. **“बकाया राशि”** का अर्थ सभी रियायती ब्याज राशि / ब्याज राशि (जैसा लागू हो), प्रसंस्करण शुल्क, ऋण प्रबंधन शुल्क, उपयोग शुल्क, पुनर्भुगतान शुल्क, डिफॉल्ट ब्याज, बीमा शुल्क, अन्य उत्पाद या सेवाएं, अन्य शुल्क, कर, समझौते के तहत देय किसी भी राशि के प्रवर्तन और संग्रह के लिए कोई और सभी खर्च और किसी भी अन्य शुल्क के साथ संपूर्ण बकाया मूल राशि होगी, जिसमें देय और बकाया राशि, लागत और प्रतिपूर्ति योग्य व्यय शामिल हैं, जैसा समय-समय पर बकाया के रूप में हों और चाहे उनमें से कोई लेन-देन दस्तावेजों के तहत देय हैं;
- t. **“व्यक्ति”** के अर्थ में व्यक्ति, लोगों का संघ, निगम, ट्रस्ट, साझेदारी, अनिगमित निकाय या सरकार या इसका उप अनुभाग, या कोई अन्य निकाय आता है या शामिल है;
- u. **“मूलधन राशि”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे टीडी अनुसूची में दिया गया है;
- v. **“प्रोसेसिंग शुल्क”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे टीडी अनुसूची में दिया गया है;
- w. **“बीमा प्रभार”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे टीडी अनुसूची में दिया गया है;
- x. **“पुनर्भुगतान शुल्क”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे टीडी अनुसूची में दिया गया है;
- y. **“पुनर्भुगतान तिथि”** उस प्रत्येक तिथि से होगा जिस दिन टीडी अनुसूची में व्यवस्थापित तरीके से पुनर्भुगतान किश्त का भुगतान किया जाएगा;
- z. **“पुनर्भुगतान किश्त”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे टीडी अनुसूची में दिया गया है;
- aa. **“स्वीकृति पत्र”** का अर्थ होगा ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता को जारी किया गया पत्र, जो नियम और शर्तों के साथ इसके द्वारा दी जा रही सुविधा को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देता है;
- ab. **“टीडी अनुसूची”** का अर्थ इस अनुबंध में संलग्न अनुसूची से होगा, जिसमें इस अनुबंध के तहत पूरे किए गए किए गए हस्तांतरण के विवरण, नियम और शर्तें शामिल हैं;
और
- ac. **“लेन-देन दस्तावेजों”** का अर्थ इस समझौते और उक्त समझौतों में किए गए किसी भी संशोधन या परिवर्तन से होगा।
- ad. **“उपयोग शुल्क”** का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे टीडी अनुसूची में दिया गया है;

1.1 विवेचन

जब तक इस अनुबंध के संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो:

- a. किसी भी लिंग के शब्दों में सभी लिंगों को शामिल माना जाएगा;
- b. शब्द “इसलिए”, “इस कारण”, “इसके साथ ही” और व्युत्पन्न या इस अनुबंध में या इसके विशेष खंडों में उल्लेखित समान शब्दों का प्रयोग स्थिति के अनुसार किया जाएगा;
- c. शब्द “खंड” का उल्लेख इस अनुबंध के विशेष खंड के लिए किया जाता है;
- d. विवरणों, खंडों, संलग्नकों या अनुसूचियों का उल्लेख इस अनुबंध के विवरणों, खंडों, संलग्नकों या अनुसूचियों के लिए होगा, जब तक कि संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यकता न हो।
- e. शीर्षक और बोल्ड टाइपफ़ेस केवल सुविधा के लिए हैं और विवेचन के उद्देश्य के लिए इनकी अनदेखी कर दी जाएगी।
- f. किसी भी विधि या लागू कानून या इसके किसी प्रावधान के उल्लेख में ऐसे किसी लागू कानून का उल्लेख शामिल होगा, क्योंकि यह यहां दी गई तिथि के बाद, समय-समय पर, संशोधित, अनुपूरित या फिर से निर्मित किया जा सकता है, और विधिक प्रावधानों के किसी संदर्भ में उस प्रावधान के तहत समय-समय पर बनाया गया कोई आश्रित कानून शामिल होगा;
- g. समय पक्षों के संबंधित दायित्वों के प्रदर्शन में मूलतत्त्व है और अगर यहां दी गई किसी भी समयावधि को बढ़ाया जाता है, तो यह बढ़ाया गया समय भी मूलतत्त्व होगा;
- h. “सहित” के लिए संदर्भ का निर्माण बिना किसी सीमा के होगा; और
- i. इस अनुबंध, दस्तावेज या अन्य उपकरणों सहित अनुबंधों के सभी संदर्भों में उस अनुबंध, दस्तावेज या अन्य उपकरण के लिए संदर्भ शामिल होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, अनुपूरित, प्रतिस्थापित, नवीनयन या एसाइन किया जा सकता है।

2. सरलता और समयावधि:

2.1 सरलता

ऋणकर्ता के अनुरोध पर ऋणदाता ऋणकर्ता को उधार देने के लिए सहमत हो गया है और ऋणकर्ता ऋणदाता से उधार लेने के लिए सहमत हो गया है, यह सुविधा इस समझौते में संलग्न अनुसूची-1 (“टीडी अनुसूची”) में उल्लिखित है और यहां निर्धारित स्थितियों, नियमों और शर्तों के अधीन है।

2.2 समयावधि

यह समझौता निष्पादन तिथि से प्रभावी हो जाएगा, और अंतिम भुगतान तिथि तक वैध रहेगा, जैसा कि लागू होगा या जब तक संपूर्ण बकाया राशि और देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है, जब तक कि इस समझौते के खंड 7 के अनुसार, लागू होने पर पुनर्भुगतान की तारीख से पहले समाप्त नहीं किया जाता है।

3. हस्तांतरण:

3.1 संवितरण

ऋणदाता निम्न उपबंध 3.2 और TD अनुसूची में वर्णित ऐसे समस्त प्रभारों और शुल्कों की कटौती करने के उपरांत ऋणकर्ता के बैंक खाते में जिसके विवरण TD अनुसूची में दिए गए हैं, इस अनुबंध के निष्पादन की तारीख से 1 (एक) व्यावसायिक दिवस के अंदर मूल धनराशि का स्थानांतरण करेगा। हस्तांतरण के संबंध में ऋणदाता एक ‘अद्वितीय ऋण पहचान’ एसाइन करेगा, जैसा कि टीडी अनुसूची के संवितरण राशि के संवितरण में प्रदान किया गया है।

3.2 कटौतियां

ऋणदाता प्रसंस्करण शुल्क, ऋण प्रबंधन शुल्क, बीमा प्रीमियम और अन्य उत्पादों और सेवाओं के लिए शुल्क (यदि लागू हो), ऋणकर्ता को प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा पर जीएसटी शुल्क और ऐसे अन्य अतिरिक्त शुल्क, लागू करें और लागतों को काटकर अग्रिम मूल राशि का भुगतान करेगा, जैसा कि टीडी अनुसूची में दर्ज है, जिसे इस समझौते के अनुसार मूल राशि से घटाया जाएगा।

ऋणकर्ता सहमत है और स्वीकार करता है कि ऋणदाता मूल राशि से प्रसंस्करण शुल्क, ऋण प्रबंधन शुल्क, बीमा और अन्य उत्पादों / सेवाओं (यदि लागू हो) के लिए शुल्क, ऋणकर्ता को प्रदान की गई किसी भी सेवा पर जीएसटी शुल्क और ऐसे अन्य लागू करें (जैसा लागू हो) और जिनका विवरण टीडी अनुसूची में दिया गया हो, को काटने का हकदार है।

ऋणकर्ता, इसके द्वारा ऋणदाताओं को मूल राशि से ₹ 0/- (बीमा प्रीमियम + अन्य शुल्क) को काटने और बीमा प्रीमियम/उत्पाद/सेवा के बिक्री मूल्य के लिए बीमाकर्ता/विक्रेता को भुगतान करने का निर्देश देता है।

ऋणकर्ता सहमत है और पुष्टि करता है कि वह बीमा / उत्पाद / सेवा की विशेषताओं और नियमों और शर्तों से अवगत है और स्वेच्छा से इसका लाभ उठाया है / खरीदा है। वह इस बात से सहमत है कि वह बीमाकर्ता/उत्पाद के विक्रेता/सेवा संस्थान द्वारा किसी भी दोष/सेवा की कमी/दावे/वारंटी की अस्वीकृति के लिए ऋणदाता और/या ऋण सेवा प्रदाता को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

यहां अन्यथा उल्लेख किए जाने से पृथक्, ऋणदाता को लेनदेन पूर्ण करने तथा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सेवाओं के लिए वहन किए गए ऐसे किन्हीं प्रभारों, शुल्कों, लागतों की कटौती मूल धनराशि में से करने का अधिकार होगा, जैसा यहां TD अनुसूची में वर्णित किया गया है।

3.3 ब्याज और दंड शुल्क

ऋणकर्ता मूल धनराशि के साथ पुनर्भुगतान शुल्क, तथा ब्याज की धनराशि का पुनर्भुगतान की तारीख पर या उससे पूर्व भुगतान करने के लिए दायी होगा। ऋणकर्ता मंजूरी देता है कि पुनर्भुगतान तिथि से पूर्व प्रत्येक पुनर्भुगतान किश्त ब्याज की कुछ राशि का भी कारण बनती है, और सहमत होता है कि पुनर्भुगतान तिथि को या इससे पूर्व ब्याज की राशि के भाग का भुगतान कर दिया जाएगा, जो अंतिम पुनर्भुगतान किश्त के हिस्से का निर्माण करता है। भुगतान की वास्तविक तिथि तक सहमत ब्याज दर पर ऋणकर्ता से ब्याज वसूला जाता रहेगा।

मूल धनराशि, के साथ 124.2% के वार्षिक प्रतिशत दर (APR) पर ₹.40 की धनराशि, संगत पुनर्भुगतान तारीख (तारीखों) पर ऋणकर्ता द्वारा या उससे पूर्व देय होगी। ब्याज धनराशि पर ₹.4 की धनराशि ऋणकर्ता को प्रदान की जाएगी। यह अग्रिम छूट ब्याज राशि पर केवल तभी लागू है अगर ऋणकर्ता पुनर्भुगतान तिथि के पहले पुनर्भुगतान करता है न कि पुनर्भुगतान तिथि के बाद।

यदि ऋणकर्ता पुनर्भुगतान तिथि के बाद, किश्त का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऋणकर्ता टीडी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित तरीके के अनुसार दंड शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और ऋणदाता भुगतान की वास्तविक तारीख तक देय किश्त पर वार्षिक ब्याज दर 48% शुल्क लेना जारी रखेगा।

3.4 पुनर्भुगतान

जैसा कि टीडी अनुसूची में अनुबंधन किया गया है प्रत्येक पुनर्भुगतान तिथि पर ऋणकर्ता तदनुसार पुनर्भुगतान किश्त का भुगतान सीधे ऋणदाता के बैंक खाते में करेगा। ऋणदाता द्वारा अन्य प्रकार से सूचित न किए जाने तक, ऋणकर्ता DLA द्वारा संचालित 'mPokket' ऐप्लिकेशन/वेबसाइट का उपयोग करके इन धनराशियों के भुगतान करेगा।

इसके तहत, जब यह देय और भुगतान योग्य हो, देय बकाया राशि के संबंध में ऋणकर्ता को कोई नोटिस, अनुस्मारक या सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि यह पूरी तरह से ऋणकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि वह देय होने पर और पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार, ऋणदाता को देय राशि का शीघ्र और नियमित भुगतान सुनिश्चित करे।

ऋणकर्ता द्वारा लागू पुनर्भुगतान तिथि से अतिरिक्त किसी भी पुनर्भुगतान किश्त (या कोई अन्य बकाया राशि, यदि लागू हो) के

भुगतान की स्थिति में, ऋणकर्ता लागू भुगतान तिथि की समाप्ति के बाद, वास्तविक भुगतान की तारीख तक, प्रत्येक किश्त के लिए भुगतान न की गई बकाया राशि पर दंड शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऋणकर्ता प्रत्येक पुनर्भुगतान किश्त के लिए बकाया राशि पर प्रति दिन 48% की वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करना जारी रखेगा। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्भुगतान किश्त के भुगतान में इसकी अनुकूल पुनर्भुगतान तिथि से प्रत्येक विलंब की स्थिति के लिए दंडात्मक शुल्क बकाया और भुगतान योग्य होगा।

आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित पुनर्भुगतान तिथि(तिथियों) पर किसी या सभी पुनर्भुगतान किश्त(किश्तों) के भुगतान में विलंब हो जाने पर, ऋणकर्ता को 'धोखाधड़ी' करने वाला समझा जाएगा। पुनर्भुगतान तिथि के बाद ब्याज राशि के भुगतान से ऋणकर्ता को डिफॉल्ट ब्याज, अगली पुनर्भुगतान किश्त के समय पर भुगतान से और/या इस प्रकार की धोखाधड़ी से या इस अनुबंध के तहत ऋणदाता के अन्य अधिकारों से मुक्ति नहीं मिल जाती है।

देय और अर्जित ब्याज राशि, किसी भी लागू दंड प्रभार, या इस अनुबंध में निर्दिष्ट किसी भी अन्य शुल्क के साथ मूल राशि तुरंत देय होगी और ऋणदाता द्वारा मांगे जाने पर, पुनर्भुगतान की तारीख के बाद, यहां निहित नियमों और शर्तों के अनुसार देय होगी।

3.5 पूर्वभुगतान

ऋणकर्ता पुनर्भुगतान तिथि से पहले किसी भी समय कुल बकाया पुनर्भुगतान किसी भी समय या समय-समय पर पूर्वभुगतान कर सकता है।

पक्षों द्वारा एतद्वारा अभिस्वीकृत किया जाता है कि लुक अप अवधि के दौरान पूर्वभुगतान की स्थिति में पुनर्भुगतान के समय तक आनुपातिक APR प्रभारित होगी। लुक अप अवधि के अंदर किए गए ऐसे पूर्व-भुगतानों के लिए रु.4, की छूटप्राप्त धनराशि ऋणकर्ता को उपलब्ध नहीं होगी।

लुक अप अवधि के बाद पूर्वभुगतान की स्थिति में ऋणकर्ता पुनर्भुगतान की तारीख तक आनुपातिक ब्याज और वास्तविक पुनर्भुगतान तारीख से पुनर्भुगतान किश्त देय तारीख तक आनुपातिक ब्याज के बराबर पूर्वभुगतान ब्याज चुकता करने के लिए दायी होगा।

3.6 लुक-अप अवधि

मूल धनराशि और आनुपातिक APR का भुगतान करते हुए ऋण से बाहर निकलने के स्पष्ट विकल्प के रूप में ऋणकर्ताओं को, ऋण वितरण के समय से 72 घंटों की लुक अप अवधि प्रदान की जाएगी और इस अवधि के दौरान कोई दंडराशि प्रभारित नहीं की जाएगी।

4. धोखाधड़ी की घटना

4.1 इस अनुबंध के उद्देश्य से निम्नलिखित घटनाएं धोखाधड़ी की घटनाओं का निर्माण करती हैं:

- ऋणकर्ता किसी लागू कानून का उल्लंघन करता है जिसके (i) ऋणकर्ता द्वारा मूलधन राशि के पुनर्भुगतान सहित; इस अनुबंध के तहत किसी या सभी दायित्वों को संपादित करने की योग्यता; या (ii) ऋणदाता के व्यवसाय या वित्तीय या अन्य स्थितियों या संचालन पर, विपरीत प्रभाव पड़ता हो या पड़ने की संभावना हो;
- ऋणकर्ता इस अनुबंध के अनुसार इस अनुबंध में दी गई शर्तों के अनुसार किसी भुगतान योग्य राशि का भुगतान इस प्रकार की राशि की देय तिथि पर नहीं करता है;
- ऋणकर्ता द्वारा किया गया या उसके द्वारा किया गया समझा गया कोई प्रस्तुति या कथन, इस अनुबंध में या इस अनुबंध के तहत या इसके संबंध में ऋणकर्ता द्वारा दिया कोई अन्य दस्तावेज, देते समय या जिस समय इसे दिया हुआ समझा जाता है, गलत या भ्रामक पाया जाता है;
- ऋणकर्ता द्वारा (i) इस अनुबंध के अंतर्गत उसके किन्हीं दायित्वों, प्रतिज्ञाओं, वारंटियों, वचनबद्धताओं और देयताओं; या (ii) लेंडिंग सेवा प्रदाता के साथ सहमति आधारित नियमों एवं शर्तों (गोपनीयता नीति और नियम एवं शर्तों सहित) का उल्लंघन किए जाने पर, या पालन करने में चूक करने, या किसी भांति असफल रहने की स्थिति में;
- ऋणकर्ता धोखाधड़ी, संपूर्ण अनदेखी या जानबूझकर कदाचार का कोई कार्य करता है।

4.2 इस प्रकार की धोखाधड़ी के उत्पन्न होने की घटना को इस अनुबंध के तहत धोखाधड़ी माना जाएगा। ऋणदाता स्वयं या ऋणदाता द्वारा नियुक्त किसी भी तीसरे पक्ष के माध्यम से ऋणकर्ता को डिफॉल्ट स्थिति की सूचना देगा, एलएसपी के विवरण, जैसा कि ऋणकर्ता के साथ साझा किए गए हैं और जैसा कि ऋणदाता की वेबसाइट "[lsp-dla](#)" पर उपलब्ध है।

4.3 ऋणदाता का निर्णय कि 'धोखाधड़ी की घटना उत्पन्न हुई है' अंतिम होगा और ऋणकर्ता पर बाध्य होगा।

4.4 धोखाधड़ी की किसी घटना के परिणाम:

धोखाधड़ी की घटना के उत्पन्न होने पर, ऋणदाता के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:

- a. धोखाधड़ी की नोटिस(या ऋणकर्ता को ऐसी किसी अन्य नोटिस) के पदों में बकाया राशि या इसके हिस्से के तुरंत देय या भुगतान योग्य होने की घोषणा करना, जहां इस अनुबंध के उद्देश्य से ये तुरंत देय और भुगतान योग्य बन जाएंगे;
- b. ऋणकर्ता के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्यवाही शुरू करना, चाहे यह मध्यस्थता से हो, दीवानी या आपराधिक मुकदमे से हो, और ऋणकर्ता धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी कानूनी और अन्य लागतों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- c. ऋणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए संदर्भों में ऋणकर्ता द्वारा इस तरह के डिफॉल्ट के तथ्य का खुलासा करें, जिन्होंने स्पष्ट रूप से किसी भी माध्यम (ऑनलाइन या ऑफलाइन) के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान की है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों को एसएमएस के माध्यम से (जो जानकारी और पहुंच और प्रसार का अधिकार ऋणकर्ता के पास है) आवश्यक उपचारात्मक कदमों के लिए, यहां और अन्यथा से सहमति व्यक्त की गई; जाने की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। इस अनुबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद, और लागू कानून के अधीन।
- d. पूर्वोक्त की सामान्यता के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना, अनिवार्य उपचारात्मक उपायों के लिए, ऋणकर्ता द्वारा ऐसे डिफॉल्ट के तथ्य को ऋणकर्ता द्वारा प्रदान किए गए संदर्भों के समक्ष प्रकटित करेगा, जिसने स्पष्ट रूप से अपनी सहमति किसी माध्यम से (ऑनलाइन या ऑफलाइन) प्रदान की है, ऐसे व्यक्तियों को SMS द्वारा भी सूचित किया जाना इसमें शामिल है (जिस सूचना तथा पहुंच के अधिकार और प्रसार के बारे में ऋणकर्ता द्वारा एतद्वारा और अन्य प्रकार से सहमति दी गई है), इस समझौते में निहित किसी भी बात के बावजूद, और लागू कानून के अधीन, ऋणकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता, या तो सीधे या अपने एलएसपी या कर्मचारियों के माध्यम से, तीसरे पक्ष के साथ (ऐसी किसी भी जानकारी के अलावा, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी (ऐसी किसी भी जानकारी के अलावा, जिसे व्यक्तिगत का संवेदनशील डेटा या जानकारी के रूप में समझा जा सकता है, जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) (उचित सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011) जानकारी साझा कर सकता है, ऐसे तीसरे पक्ष का विवरण डीएलए की गोपनीयता नीति में ऋणकर्ता को बताया जाता है, जैसा कि उसके साथ साझा किया जाता है और ऋणदाता की वेबसाइट "[एमएफएसपीएल- गोपनीयता नीति](#)" पर उपलब्ध गोपनीयता नीति में खुलासा किया जाता है, जिसमें ऋण वसूली एजेंसियां, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ऋण सेवा प्रदाता, बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, क्रेडिट सूचना कंपनियां शामिल हैं। ऋणकर्ता यह पुष्टि करता है कि ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता की सूचनाओं को यहां वर्णित प्रकार से साझा किए जाने के संबंध में उसे कोई आपत्ति नहीं है और किसी समय इस संबंध में वह कोई आपत्ति या कार्यवाही नहीं करेगा। ऋणकर्ता बीमा/सेवा/उत्पाद प्रदान करने के लिए उत्पाद/सेवा के बीमाकर्ता/विक्रेता को अपनी व्यक्तिगत विवरण/केवाईसी जानकारी साझा करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति देता है। वैधानिक या नियामकीय अपेक्षा के अनुसार ऐसी जानकारी साझा करने की आवश्यकता होने पर, ऋणदाता, ऋणकर्ता की निजी जानकारी साझा करने से पूर्व से स्पष्ट सहमति लेने के लिए बाध्य नहीं है।
- e. ऋणकर्ता द्वारा देय धनराशि की वसूली हेतु ऋणकर्ता से संपर्क करने के प्रयोजन से वसूली एजेंटों को LSP के रूप में नियुक्त करेगा ऋणकर्ता एलएसपी की सक्रिय सूची को ऋणदाता की वेबसाइट "[lsp-dla](#)". पर देख सकता है।
- f. ऋणकर्ता के विरुद्ध, भारत के न्यायालयों के हस्तक्षेप के साथ या इसके बिना, किसी लागू कानून के तहत अनुमत, कोई कार्यवाही करना;

इस अनुबंध के तहत ऋणदाता को दिए गए अधिकार, शक्तियां और उपचार, किसी अन्य सुरक्षा, कानूनी या विधिक नियम द्वारा ऋणदाता को दिए गए अधिकारों, शक्तियों और उपचारों के प्रभाव से अतिरिक्त होंगे। एतद्वारा ऋणकर्ता सहमति और मंजूरी देता है कि धोखाधड़ी उत्पन्न होने की स्थिति में, ऋणदाता को, किसी भी समय, इस खंड में व्यवस्थापित किए गए तरीके से दावा करने का अधिकार है, और ऋणकर्ता मंजूरी देता है कि इस अनुबंध के तहत ऋणदाता को देय की वसूली के लिए समयावधि का हर बार उस समय नवीनीकरण हो जाएगा, जब ऋणकर्ता के पास कोई धन आता है चाहे यह आय के तरीके से हो, किसी उपहार के माध्यम से या अन्यथा।

4.5 इस अनुबंध के तहत, कानून में, इक्विटी में, कस्टम, व्यापार व्यवहारों या अन्यथा ऋणदाता के लिए उपलब्ध उपचार संचयी हैं और वैकल्पिक नहीं होंगी और ऋणदाता के विवेक के आधार पर साथ-साथ या बारी-बारी से लागू किए जा सकते हैं।

5. प्रस्तुतियां वारंटियां और प्रतिज्ञाएं

5.1 एतद्वारा ऋणकर्ता प्रस्तुत करता है और वारंटी देता है कि:

- a. यह अनुबंध करते हुए इसके द्वारा या LSP द्वारा अपेक्षित कोई जानकारी प्रदान करते हुए, किसी व्यक्ति के किसी बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापारिक रहस्य या अन्य विशिष्ट अधिकारों या सार्वजनिकता या गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
- b. इसके पास इस अनुबंध में प्रवेश करने, क्रियान्वयन करने और आजाद करने का और यहां अपेक्षित दायित्वों का संपादन करने की पूर्ण शक्ति और अधिकार है।
- c. इस अनुबंध के निष्पादन और इससे स्वतंत्रता और दायित्वों के संपादन से किसी पूर्व अनुबंध, प्रतिज्ञा या कानूनी अथवा अनुबंध की आवश्यकता का उल्लंघन नहीं होता है।
- d. इस अनुबंध के निष्पादन, मुक्ति और संपादन और एतद्वारा अपेक्षित दायित्वों की परिपूर्ति से: (i) किसी भी आदेश, निर्णय या न्यायालयिक निर्णय का उल्लंघन नहीं होगा, या उस पर अथवा उसकी संबंधित संपत्ति, माल या व्यवसायों पर बाध्य नहीं होता है; अथवा (ii) किसी लागू कानून का उल्लंघन नहीं होता है।
- e. इस अनुबंध और हस्तांतरण के संबंध में ऋणकर्ता द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी संपूर्ण, सत्य, शुद्ध, वर्तमान है और किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है।
- f. ऋणकर्ता की आयु कम से कम 18 वर्ष है और भारतीय अधिनियम, 1872 के अनुसार अनुबंध करने में सक्षम है।
- g. भारत के कराधान और विदेशी विनियम कानूनों के उद्देश्य से, ऋणकर्ता भारत का एक नागरिक है और भारत का एक निवासी है।
- h. ऋणकर्ता पर कोई कानूनी अभियोग, दावा, विवाद या कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है जिससे इस अनुबंध पर किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभाव पड़ता हो।
- i. ऋणकर्ता ने किसी ऐसे अनुबंध में प्रवेश नहीं किया है जो उसे इस अनुबंध के तहत किसी दायित्व को पूरा करने से रोके।
- j. कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जो ऋणदाता के हितों को पूर्वाग्रह से प्रभावित करती हो या ऋणकर्ता की वित्तीय दशा को प्रभावित करे या इस अनुबंध के तहत उसके सभी या किन्हीं दायित्वों की संपूर्ति करने पर प्रभाव डाले।
- k. ऋणकर्ता द्वारा किसी कर या सरकारी बकाया के भुगतान में धोखाधड़ी नहीं की गई है।
- l. ऋणकर्ता इस अनुबंध की शर्तों को और यहां पर अपेक्षित हस्तांतरण को प्रभाव में लाने के लिए वह सभी कार्य, काम और चीजें करेगा जो भी ऋणदाता द्वारा आवश्यक हैं।

5.2 ऋणकर्ता प्रतिज्ञा लेता है कि:

- a. ऋणकर्ता इस अनुबंध के तहत सभी दायित्वों की प्रतिपूर्ति करेगा।
- b. ऋणकर्ता तुरंत ऋणदाता को बैंक अकाउंट विवरण सहित सभी दस्तावेज प्रदान करेगा, जैसा समय-समय पर ऋणदाता को आवश्यकता हो सकती है।
- c. ऋणकर्ता एक पूर्वगामी शर्त के तौर पर बिना ऋणदाता को सूचना दिए बिना अपने बैंक खाते को बंद नहीं करेगा/करेगी।
- d. ऋणकर्ता उस स्थिति में ऋणदाता को अधिकृत करता है, जब वह उपलब्ध नहीं होता है या पहुंच योग्य नहीं होता है, तो वह ऋणदाता को अपनी संग्रह नीति के अनुसार कार्यकारी घंटों के भीतर ऋणकर्ता के संदर्भ से स्वतंत्र रूप से बातचीत करने के लिए अधिकृत करता है, जैसा कि ऊपर खंड 4.4 (सी) में बताया गया है, जैसा कि ऋणदाता इस समझौते के प्रयोजन के लिए और ऋणकर्ता की क्रेडिट योग्यता के प्रबंधन के लिए आवश्यक समझ सकता है।
- e. ऋणकर्ता अपने विरुद्ध किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही के बारे में तुरंत ऋणदाता को सूचित करेगा।
- f. ऋणकर्ता, ऋणदाता को कार्यालय/पते/निवास/अध्ययन/व्यवसाय के स्थान में सभी परिवर्तनों के बारे में 7 दिनों के अंदर लिखित रूप में सूचित करेगा और ऋणकर्ता स्थान/पते/निवास/अध्ययन/व्यवसाय के स्थान में इस तरह के परिवर्तन को प्रमाणित करते हुए ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

- g. ऋणकर्ता भुगतान योग्य संपूर्ण राशि का पुनर्भुगतान किए बिना और इस अनुबंध के तहत सभी दायित्वों को पूरा किए बिना, रोजगार, लंबे समय के अध्ययन कार्यक्रम, व्यापार, या लंबे समय तक विदेश में रहने के लिए भारत नहीं छोड़ेगा।
- h. ऋणकर्ता पुष्टि करता है कि वह मनी लेंडिंग, सूदखोरी या ब्याज लेने के से संबंधित अन्य कानूनों के तहत उसने उचित सलाह ली है और वह अपने लिए उपलब्ध किसी सुरक्षा का त्याग करता है।
- i. ऋणकर्ता ने ऋणदाता, इसके डीएलए और एलएसपी के सभी नियम और शर्तों, गोपनीयता नीति और ऋणदाता की वेबसाइट और इसके डीएलए "एमपॉकेट" पर उपलब्ध महत्वपूर्ण शर्तों को पढ़ लिया है, जो इसके एलएसपी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और/या ऋण अनुबंध के निष्पादन पर ऋणकर्ता को उसकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा गया है और ["lsp-dla"](#) पर उपलब्ध है।
- j. ऋणकर्ता इसके द्वारा बिना शर्त ऋणदाता की वेबसाइट / एलएसपी और / या "mPokket" एप्लिकेशन पर निहित नियमों और शर्तों, गोपनीयता नीति और अन्य शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है और ऐसे नियम और शर्तों, ऋणदाता और/या डीएलए की वेबसाइट पर मौजूद गोपनीयता नीति को यहां संदर्भ ["mpokket.in"](#) द्वारा शामिल किया जाएगा।
- k. उसके द्वारा mPokket एप्लीकेशन पर जमा किए गए वित्तीय ब्यौरे और जानकारी सही और शुद्ध है। उन्होंने कोई ऐसी जानकारी नहीं प्रदान की है असत्य है या ऋणदाता के या तो उसे पंजीकृत करने के लिए या उसे mPokket एप्लीकेशन के जरिए ऋण देने की अनुमति देने के लिए निर्णय को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाता है।
- l. ऋणकर्ता यह पुष्टि करता है कि उनके (ऋणकर्ता और ऋणदाता) के बीच समस्त प्रकार का संचार और लेनदेन लेंडिंग सर्विस प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा/किया गया है।
- m. ऋणकर्ता अभिस्वीकृत करता है कि लेंडिंग सेवा प्रदाता द्वारा संचालित mPokket ऐप्लिकेशन केवल एक तकनीकी प्लेटफार्म है, जो ऋणदाता और ऋणकर्ता को एक साथ लाता है।
- n. ऋणकर्ता इसे समझता है कि लेंडिंग सेवा प्रदाता केवल ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं को मिलने की सुविधा प्रदान करता है और लेंडिंग में संलिप्त नहीं है।
- o. जब तक कि इस अनुबंध के तहत बकाया राशि का फिर से भुगतान न कर दिया जाए, ऋणकर्ता किसी तृतीय पक्ष को अपनी ओर से बातचीत करने/या पत्र व्यवहार प्राप्त करने के लिए अधिकृत करने के अधिकार का त्याग कर देगा।

5.3 अतिरिक्त प्रतिज्ञाएं

5.3.1 धनराशि का प्रयोग

ऋणकर्ता एतद्वारा प्रतिज्ञा लेता है और वचन देता है कि, अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान, ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता को इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार संवितरित राशि, का प्रयोग ऋणकर्ता द्वारा केवल न्यायसंगत उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

5.3.2 ऋणकर्ता की अन्य प्रतिज्ञाएं और सहमतियां

- a. ऋणदाता अपने कोई तथा समस्त कार्य किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स करने के लिए अधिकारी है, जैसा भी उसके द्वारा, और RBI के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयुक्त पाया जाए, इसमें, ऋणदाता की ओर से बकाया, देय और बाकी किश्तें, तथा अनुबंध के अंतर्गत देय अन्य धनराशियां वसूल करने का अधिकार और प्राधिकार, और लागू कानूनों के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा तक समस्त विधिक कृत्य और मामले और उनसे संबंधित और आकस्मिक चीजें करने और निष्पादित करने का अधिकार तथा ऋणकर्ता को नोटिसें भेजने के अधिकार भी शामिल हैं। ऋणदाता द्वारा नियुक्त ऐसे लेंडिंग सेवा प्रदाताओं के विवरण ["Lsp-Dla"](#) वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।
- b. ऋणकर्ता बीमा/उत्पाद/अतिरिक्त सेवा की विशेषताओं और नियमों एवं शर्तों से अच्छी तरह से अवगत है और उसने स्वेच्छा से इसका लाभ उठाया है/खरीदा है। इसलिए, ऋणकर्ता, उत्पाद / अतिरिक्त सेवाओं के बीमाकर्ता / विक्रेता द्वारा किसी भी दोष / सेवा की कमी / दावे / वारंटी की अस्वीकृति के लिए ऋणदाता और / या उधार सेवा प्रदाता को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।
- c. ऋणकर्ता उक्त बीमा/अतिरिक्त सेवा/उत्पाद प्रदान करने के लिए अपनी व्यक्तिगत विवरण/केवाईसी जानकारी को बीमाकर्ता/उत्पाद/सेवा के विक्रेता को आवश्यकतानुसार साझा करने के लिए अपनी स्पष्ट सहमति प्रदान करता है।
- d. ऋणदाता को किसी भी समय, ऋणकर्ता की सहमति के बिना, ऋणकर्ता के बैंक खाते से निर्मित किए गए ग्रहणाधिकारों सहित इस अनुबंध के तहत ऋणदाता के सभी या किसी अधिकारों या दायित्वों के प्रतिभूतिकरण, बेचने, एसाइन करने, नवीयन करने या हस्तांतरित करने का अधिकार है।
- e. ऋणकर्ता सहमत होता है और मंजूरी देता है कि उसने इस अनुबंध में व्यवस्थापित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और शुल्क, प्रभारों, कटौतियों सहित अपने सभी दायित्वों को पूरी तरह से समझता/समझती है जो उस संवितरण के समय लागू होंगे जिसमें

इस अनुबंध का उल्लंघन करने पर दंडनीय प्रभार भी शामिल हैं।

- f. ऋणकर्ता इसके द्वारा घोषणा करता है कि वह अंग्रेजी में शर्तों को पढ़ और समझ सकता है और अंग्रेजी में सभी दस्तावेजों / पत्राचार को प्राप्त करने के लिए सहमत है। ऋणकर्ता द्वारा अंग्रेजी न समझने की स्थिति में, ऋणकर्ता सहमत होता है और मंजूरी देता है कि उसने इस अनुबंध की शर्तों को और संबंधित हस्तांतरण दस्तावेजों को अपनी बोल-चाल की भाषा में समझाने के लिए किसी रिश्तेदार/दोस्त/तृतीय पक्ष की सहायता ली है और इस अनुबंध के तहत सभी नियमों और शर्तों को पूरी तरह से जानता/जानती है।

6. क्षतिपूर्ति

ऋणकर्ता, ऋणदाता, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सहयोगियों, एजेंटों, ठेकेदारों, सलाहकारों, भागीदारों और ऋणदाता द्वारा नियुक्त प्रत्येक वकील, प्रबंधक, एजेंट या अन्य व्यक्ति (प्रत्येक "क्षतिपूर्ति पार्टी") को सभी या किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान, देनदारियों, दायित्वों, दावों, मांगों, कार्यों, मुकदमों, निर्णयों, पुरस्कारों, जुर्माना, दंड, करों, शुल्कों, निपटान और कार्यवाही, खर्चों, कमियों, क्षतियों (चाहे इसके परिणामस्वरूप हो या नहीं), शुल्क, लागत (जांच, वसूली या अन्य प्रतिक्रिया कार्यों की लागत सहित) ब्याज, प्रसंस्करण शुल्क, ऋण प्रबंधन शुल्क, उपयोग शुल्क, पुनर्भुगतान शुल्क, जुर्माना, जेब से किए गए उचित खर्च, ऋणदाता और/या उसके एजेंटों द्वारा निम्न से उत्पन्न, उत्पन्न होने वाले, या उसके संबंध में, या उससे संबंधित वकील और एकाउंटेंट की उचित फीस: (a) डिफॉल्ट; या (b) ऋणकर्ता के कारण होने वाली कोई धोखाधड़ी, घोर लापरवाही, जानबूझकर किया गया कदाचार के लिए क्षतिपूर्ति करेगा, बचाव करेगा और हानिरहित रखेगा।

7. समापन

7.1 यह अनुबंध निम्न प्रकार से समाप्त किया जा सकता है:

- इस अनुबंध के खंड 4 के तहत धोखाधड़ी की घटना उत्पन्न होने पर, बिना कोई पूर्व सूचना दिए, ऋणदाता के विकल्प पर, जिसमें ऋणदाता द्वारा, ऋणकर्ता पर लागू क्षतियां भी अपरिहार्य होंगी।
- पक्षों द्वारा आपसी सहमति से, समयावधि से पहले किसी भी समय, जिसे लिखित में रिकॉर्ड किया जाएगा।
- जिस तिथि पर ऋणकर्ता द्वारा भुगतान योग्य धनराशि (जैसा कि टीडी अनुसूची में दिया गया है) का पूरा पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा, और ऋणदाता की संतुष्टि की सीमा तक, इस अनुबंध की दायित्व की पूर्ति कर ली जाएगी।
- जिस तारीख को ऋणकर्ता ने लुक अप अवधि के दौरान राशि का पूरा भुगतान कर दिया है।
- इस अनुबंध के समाप्त किए जाने की स्थिति में ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता को समापन की तिथि से 2(दो) कारोबारी दिनों के भीतर पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

8. उत्तरजीविता

अनुबंध और टीडी अनुसूची के खंड 1(परिभाषा और विवेचन), 4(धोखाधड़ी की घटनाएं), 5(प्रस्तुतियां, वारंटियां और प्रतिज्ञाएं), 6(क्षतिपूर्तियां), 9(विवाद समाधान), 10.11(सूचना का अधिकार), 7(समापन) इस अनुबंध के समापन के बाद भी बने रहेंगे।

9. विवाद समाधान

9.1 मध्यस्थता

इस अनुबंध के अनुसरण से उत्पन्न होने वाला कोई या सभी विवाद(विवादों) को मध्यस्थता और समाधान अधिनियम, 1996 और इसके तहत बने नियमों के तहत, जिन्हें समय-समय पर संशोधित और लागू किया जाता है, को ऋणदाता के स्वयं विवेक के द्वारा एक एकल स्वतंत्र मध्यस्थ के पास जाने से पहले एक बाध्य मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा।

पक्षों के बीच इस पर स्पष्ट रूप से सहमति हुई है कि:

- मध्यस्थता के लिए स्थान और पीठ कोलकाता होगा।
- मध्यस्थता की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी।
- मध्यस्थता का निर्णय पक्षों पर अंतिम और बाध्य होंगे।

विवाद के अंतिम निर्णय के लंबित होने के दौरान पक्ष इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों की पूर्ति करना जारी रखेंगे और उनके पास किसी विवाद को मध्यस्थ के पास संदर्भित किए जाने का हवाला देकर इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को निलंबित करने का अधिकार नहीं होगा।

9.2 किसी भी पक्ष को किसी भी ऐसे न्यायालय से अन्तरिम न्यायोचित या निषेधाज्ञा राहत, या दोनों प्राप्त करने से कुछ भी नहीं रोकेगा, जिसके पास यह देने का न्यायाधिकार है। न्यायोचित या निषेधाज्ञा राहत से इस खंड 9.2 में वर्णित मध्यस्थता मुकदमें के कारण पक्षों को होने वाली धन की हानि के लिए कोई राहत प्राप्त करने के अधित्याग का निर्माण नहीं करेगा।

9.3 पक्ष एतद्वारा सहमत होते हैं कि मध्यस्थता का सारा खर्च मध्यस्थता में हारने वाले पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

10. विविध

10.1 सूचना:

जब तक कि अन्यथा यहां पर कहा न गया हो, (i) इस अनुबंध का अनुसरण करते हुए ऋणदाता, ऋणकर्ता को एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया, व्यक्तिगत डिलीवरी, या ऋणकर्ता को उसकी टीडी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए फोन नंबर, पते या अन्य कोआर्डिनेट्स पर संबोधित करते हुए प्रीपेड रजिस्टर्ड पत्र पर नोटिस जारी कर सकता है या अन्य संवाद कर सकता है; (ii) ऋणकर्ता ऋणदाता को support@mpocket.com पर ईमेल करके इस अनुबंध का अनुसरण करके नोटिस जारी कर सकता है या अन्य संवाद कर सकता है।

नोटिसों को प्रभावी समझा जाएगा (a) अगर व्यक्तिगत रूप से पहुंचाई गई है, जो पहुंचने पर, (b) जब ईमेल, व्हाट्सएप या एसएमएस द्वारा भेजा जाए तो प्राप्तकर्ता के ईमेल खाते में प्राप्त होने के बाद या प्राप्तकर्ता के व्हाट्सएप इनबॉक्स में या एसएमएस खाता/सेवा पर एसएमएस की प्राप्ति पर; (c) अगर रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए, जो पोस्ट किए जाने के तीन दिन बाद।

10.2 प्रशासक कानून और न्यायाधिकार क्षेत्र:

यह अनुबंध भारत के कानूनों के अनुसार प्रशासित होगा और निर्मित किया जाएगा और इस अनुबंध के विवाद समाधानों के प्रावधानों के अधीन, इस अनुबंध के संबंध में उत्पन्न होने वाले किन्हीं विवादों के संबंध में विशेष न्यायाधिकार कोलकाता के न्यायालय और न्यायाधिकरण के पास होगा।

10.3 अधित्याग:

किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी समय, किसी अधिकार, शक्ति या उपचार का निष्पादन करने में क्षमा, विलंब, या कार्यवाही न करने से किसी ऐसे अधिकार, शक्ति या उपचार को हानि नहीं पहुंचेगी या इस अनुबंध के तहत दूसरे पक्ष को उल्लंघन करने पर स्वेच्छा से छोड़ देने या रजामंदी दे देने का निर्माण नहीं होगा। अनुपालन न करने के लिए अधिकारों को स्वेच्छा से छोड़ देना या छोड़ने की रजामंदी दे देना प्रभावी नहीं होगा या समझा जाएगा जबतक कि इसे लिखित में न दिया जाए और ऋणदाता द्वारा संपादित न किया जाए। कोई भी स्वत्याग या त्याग करने की रजामंदी केवल उन विशेष परिस्थितियों के अधीन होगी जिसके कारण यह किया गया है, स्वत्याग करने या रजामंदी देने वाला पक्ष अपने स्वविवेक के आधार पर आरोपित कर सकता है। किसी उल्लंघन की स्थिति में ऐसे किसी स्वत्याग या रजामंदी के कारण आगे आने वाले उल्लंघन के लिए स्वत्याग, रजामंदी या सहमति का निर्माण नहीं होता है।

10.4 अप्रत्याशित घटनाएं:

इस अनुबंध के तहत पुनर्भुगतान में विलंब के अलावा, अगर ऐसा विलंब प्राकृतिक तबाही, युद्ध, दंगों, या सरकारी एजेंसियों की कार्यवाहियों के कारण हुए हैं तो इस अनुबंध के अंतर्गत अपने संपादन में विलंब के लिए कोई भी पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा। अप्रत्याशित घटनाओं के कारण बाधित किसी दायित्व के संपादन को इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा घटना या इसके प्रभाव के समाप्त हो जाने या हट जाने के बाद फिर से शुरू कर दिया जाना चाहिए।

10.5 कोई कार्यनियुक्ति नहीं:

इस अनुबंध के तहत ऋणकर्ता के दायित्वों को ऋणदाता की पूर्व में लिखित अनुमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को सौंपा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऋणदाता के पास यह अधिकार होगा कि वह ऋणकर्ता को पूर्व में सूचित किए बिना, इस अनुबंध को किसी तृतीय पक्ष को सौंप सकता है, हस्तांतरित कर सकता है या नवीनयन कर सकता है।

10.6 संपूर्ण अनुबंध:

यह अनुबंध पक्षों के बीच इस हस्तांतरण के संबंध में संपूर्ण अनुबंध और समझ का निर्माण करेगा। ऋणदाता और ऋणकर्ता के बीच किसी अन्य हस्तांतरण से संबंधित कोई पूर्व और भविष्य का(के) अनुबंध इस अनुबंध की शर्तों द्वारा प्रभावित नहीं होंगे।

10.7 आंशिक अमान्यता:

इस अनुबंध के एक या अधिक प्रावधानों के अमान्य, गैरकानूनी या अलागूकरणीय होने के संबंध में, इसके द्वारा शेष प्रावधानों की मान्यता, वैद्यता, और लागूकरणीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे।

10.8 संशोधन:

केवल प्रत्येक पक्ष या पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित, जैसा भी मामला हो, लिखित लेखपत्र या लेखपत्रों के अलावा इस अनुबंध को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

उधार लेने से संबंधित नियमों और शर्तों में किसी सुधार/संशोधन की सूचना ऋणदाता द्वारा जल्द से जल्द ऋणकर्ता को दी जाएगी।

10.9 समान विवेचन:

इस अनुबंध का विवेचन और निर्माण उन रजिस्ट्रेशन और उपयोग के सामान्य नियमों के समान किया जाना चाहिए जो mPokket वेबसाइट या ऐप्लीकेशन का प्रयोग करने से पहले ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान किए गए थे।

10.10 लागत और स्टॉम्प ड्यूटी खर्च:

- a. ऋणकर्ता, स्टैप ड्यूटी, देय राशि की वसूली के संबंध में व्ययित आय, भुगतानयोग्य राशियों की वसूली के संबंध व्युत्पन्न आय, इस अनुबंध में और सभी संबंधित अनुबंधों, भुगतान योग्य राशियों के संबंध में एतद्वारा पक्षों के बीच निष्पादित सभी संबंधित अनुबंधों, लेखपत्रों और दस्तावेजों में व्युत्पन्न करें सहित इस अनुबंध को पूरा करने में आने वाली सभी लागतों को वहन करेगा।
- b. इस अनुबंध में भुगतान न करने या अपर्याप्त भुगतान के कारण ऋणदाता को आने वाले कोई दावे, मांगें, कार्यवाहियां, खर्च और दायित्व और दस्तावेज तथा अन्य लेख या दस्तावेज, जिन्हें ऋणकर्ता द्वारा इस अनुबंध का पालन करने के संबंध में निष्पादित किया जा सकता है, ऋणकर्ता के लिए लागत होगी।
- c. ऋणकर्ता एतद्वारा मंजूरी देता है कि वह इस अनुबंध को लागू करने, या किसी अधिकार को संरक्षित करने के संबंध में आने वाली लागत, सकल मूलधन राशि, ब्याज और डिफॉल्ट ब्याज, यदि कोई है तो, में वृद्धि, ऋणदाता को भुगतान योग्य होगी। ऋणकर्ता आगे स्वीकृति देता है कि ऋणकर्ताओं को कम क्रेडिट विश्वसनीयता के साथ असुरक्षित ऋण प्रदान करने में शामिल जोखिमों और प्रदान किए जा ऋणों के आकार को देखते हुए इस प्रकार की राशियां उपयुक्त हैं।

10.11 सूचना का अधिकार:

ऋणकर्ता इसके द्वारा सहमत है और सहमति देता है, (ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता को दी गई सुविधा प्रदान करने से संबंधित एक पूर्व शर्त के रूप में कि ऋणदाता और/या आरबीआई को, क्रेडिट सूचना कंपनियों और आरबीआई द्वारा अधिकृत अन्य एजेंसी को निम्न को प्रकट करने और प्रस्तुत करने का विशिष्ट अधिकार है - (i) ऋणकर्ता से संबंधित जानकारी और डेटा, ऋणकर्ता द्वारा ली गई / प्राप्त की जाने वाली सुविधा के बारे में, ऋणकर्ता द्वारा उसके संबंध में आश्वासन/आश्रवासन दिए जाने वाले दायित्व और (ii) डिफॉल्टर के रूप में ऋणकर्ता के नाम का खुलासा करना, ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से जिसे ऋणदाता या आरबीआई अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे।

तदनुसार, ऋणकर्ता इसके द्वारा सहमत होता है और सहमति देता है:

- a. ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता से संबंधित सभी या ऐसी किसी भी जानकारी और डेटा के प्रकटीकरण के लिए;
- b. ऋणकर्ता द्वारा लिए गए/लिए जाने वाले किसी भी ऋण से संबंधित सभी या ऐसी किसी भी जानकारी या डेटा के ऋणदाता द्वारा प्रकटीकरण के लिए;
- c. इस समझौते के तहत ऋणकर्ता के दायित्वों के निर्वहन में ऋणकर्ता द्वारा किए गए सभी/किसी भी डिफॉल्ट के लिए ऋणदाता द्वारा प्रकटीकरण, जैसा कि ऋणदाता, क्रेडिट सूचना कंपनियों और आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को प्रकट करना और प्रस्तुत करना उचित और आवश्यक समझ सकता है।
- d. ऋणकर्ता इसके द्वारा यह घोषणा करता है कि ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी गई जानकारी और डेटा सही और सत्य हैं।
- e. ऋणकर्ता इसके द्वारा घोषणा करता है कि क्रेडिट सूचना कंपनियां और इस संबंध में इस प्रकार अधिकृत कोई अन्य एजेंसी, ऋणदाता द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग कर सकती है, प्रक्रिया में ला सकती है, जैसा कि उनके द्वारा उपयुक्त समझा जाता है; और उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उनके उत्पादों को ऋणदाता या बैंकों/ वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को विचार के लिए प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- f. ऋणदाता किसी संभावित असाइनी या किसी ऐसे व्यक्ति को ऋणकर्ता के बारे में ऐसी जानकारी को प्रकट कर सकता है, जो अन्य रूप से इस समझौते के संबंध में ऋणदाता के साथ संविदात्मक संबंधों में प्रवेश कर सकता है, जिसे ऋणदाता उचित समझे।
- g. ऋणकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि ऋणदाता क्रेडिट योग्यता की जांच, सत्यापन आदि के प्रयोजनों के लिए ऋणकर्ता से संबंधित किसी भी जानकारी / दस्तावेजों (ऋणकर्ता द्वारा प्राप्त सुविधा से संबंधित) का खुलासा उसके द्वारा नियुक्त किसी तीसरे पक्ष को कर सकता है। ऋणकर्ता ऋणदाता को आरबीआई, आयकर अधिकारियों, क्रेडिट ब्यूरो, तीसरे पक्ष, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, डेटाबैंकों, कॉर्पोरेट्स, बैंकों, वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य सरकारी या नियामक प्राधिकरणों, वैधानिक प्राधिकरणों, अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों को उक्त जानकारी / दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए अधिकृत करता है।
- h. ऋणकर्ता स्वयं और अपने संबंधित उत्तराधिकारियों की ओर से ऋणदाता को उसकी संबद्ध कंपनियों और उनके संबंधित अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, प्रतिनिधियों, मूल कंपनियों, सहायक कंपनियों, पूर्ववर्तियों, उत्तराधिकारियों, वारिस, वकीलों और उनके द्वारा या उनके माध्यम से या उनके साथ मिलकर कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को किसी भी और सभी आरोपों से अपरिवर्तनीय और हमेशा के लिए मुक्त करता है, जिसमें दावे, शिकायतें, मांगें, देनदारियां, कार्रवाई के कारण, नुकसान, लागत और ज्ञात या अज्ञात रूप से किसी भी प्रकार के व्यय (संबंधित वकील की फीस और लागत सहित), संदिग्ध या अप्रमाणित आरोप शामिल हैं, इनमें वे भी शामिल हैं जिनके बारे में इस अनुबंध की तारीख तक पता नहीं है या जिनके अस्तित्व में होने का संदेह है, जो इस समझौते की तारीख तक मौजूद नहीं हैं या संदेह के तहत हैं, जो ऋणकर्ता की ओर से ऋणदाता के विरुद्ध गोपनीयता के किसी भी उल्लंघन, गलत बयानी, धोखाधड़ी, तनाव, अच्छे विश्वास और निष्पक्ष व्यवहार के किसी भी अनुबंध के उल्लंघन के संबंध में अब या कभी भी किया जा सकता है। इस तरह के सभी दावों को इस समझौते द्वारा हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, चाहे वे अनुबंध में उत्पन्न हों या किसी नियम या किसी अन्य कानून (कानून) के तहत उत्पन्न हों। ऋणदाता के खिलाफ ऋणकर्ता द्वारा किए गए सभी दावों का अंतिम निवारण, इस समझौते के तहत ऋणदाता से ऋणकर्ता को प्रवाहित होने वाले विचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस खंड के उद्देश्य के लिए "दावे" शब्द का अर्थ सभी कार्यों, दावों और शिकायतों को शामिल करना होगा, चाहे वास्तविक या संभावित हो, ज्ञात या अज्ञात, और विशेष रूप से हो, लेकिन विशेष रूप से इस खंड में संदर्भित ऋणदाता के प्रकार के खिलाफ सभी दावों को विशेष रूप से शामिल नहीं किया जाएगा।

10.12 प्रतिरूप का निष्पादन:

इस अनुबंध का निष्पादन कितने भी प्रतिरूपों में किया जा सकता है और उन सभी एक साथ लिया जा सकता है और ये समान लेखपत्र का निर्माण करेंगे। पक्ष ऐसे किसी भी प्रतिरूप में हस्ताक्षर करके अनुबंध में प्रवेश कर सकता है।

10.13 आगे का आश्वासन:

यहां पर शामिल प्रत्येक पक्ष दूसरे के साथ सहयोग करेगा और दूसरे को ऐसे लेखपत्र और दस्तावेज प्रदान करेगा और निष्पादन करेगा तथा अन्य ऐसी कार्यवाहियां करेगा जो प्रमाण लाने के लिए उपयुक्त हो सकती हैं और उनके अधिकारों तथा इस अनुबंध के नियत उद्देश्य की पुष्टि करती हैं।

पक्ष सहमत होते हैं कि यह अनुबंध इलेक्ट्रॉनिक रूप में निष्पादित किया जा रहा है, इस अनुबंध के निष्पादन के लिए एक क्लिक रैप के तरीके का प्रयोग किया जा रहा है। पक्ष एतद्वारा सहमत हैं और वचन देते हैं कि:

- i. पक्ष समझते हैं और सहमत होते हैं कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तकनीकी या कागज के जरिए इस अनुबंध का निष्पादन करने का अधिकार है, जो सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के अनुपालन के अनुसार है;
- ii. इस अनुबंध में या इस अनुबंध के संबंध में किसी नोटिस/सूचना/ऑफर/स्वीकार्यता भौतिक हस्ताक्षर की अनुपस्थिति के बावजूद, मेरे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में मेरे द्वारा निष्पादित कोई या अन्य दस्तावेज मुझ/हम पर कानूनी रूप से मान्य, बाध्य और लागू करने योग्य होगा; यह इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर उनके हस्तलिखित हस्ताक्षर के बराबर हैं और इनका मान हस्तलिखित हस्ताक्षर के समान मान्यता और अर्थ होगा। भविष्य में किसी भी समय, पक्ष मेरे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के अर्थ को नामंजूर नहीं करेंगे या यह दावा नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कानूनी रूप से बाध्य नहीं होंगे;
- iii. पक्ष अनुबंध की लागूकरणीयता या वैद्यता के संबंध में या केवल इस अनुबंध के कारण किसी अन्य दस्तावेज या क्लिक रैप अनुबंध के तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप में निष्पादित एक अन्य दस्तावेज पर कोई भी आपत्ति या दावा नहीं उठाएंगे; पक्ष इस अनुबंध के एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर रखने वाले कागज की प्रति के तौर पर स्वीकार्यता पर, इस आधार पर आपत्ति न उठाने के लिए सहमत होते हैं कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है या कि यह मूल रूप नहीं है या यह वास्तविक नहीं है; और
- iv. पक्ष इस अनुबंध या इस अनुबंध के संबंध में किसी दस्तावेज के निष्पादन के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया, विधि, स्टोरेज, या इसके तरीकों के संबंध में कोई आपत्ति या दावा नहीं उठाएंगे।

अनुसूची 1: हस्तांतरण विवरण अनुसूची

यह हस्तांतरण विवरण अनुसूची ("टीडी अनुसूची") अनुबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस टीडी अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों का अर्थ वही होगा जो उनके लिए यहां पर टीडी अनुसूची का प्रयोग करने पर बताया गया है, जब तक कि संदर्भ की आवश्यकता कुछ और न हो।

ब्यौरा	विवरण
मूल राशि (INR)	₹1000
वार्षिक ब्याज दर (%प्रतिवर्ष)	48
वार्षिकीकृत निश्चित ब्याज दर (%प्रतिवर्ष)	48.7
डिफॉल्ट ब्याज राशि (INR)	₹40
ऋण अवधि	30+90 days

ऋणकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान की आवृत्ति	One Time
पुनर्भुगतान किश्त की संख्या	1 **यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां केवल एक ही पुनर्भुगतान पुनर्भुगतान की परिकल्पना की गई है, वहां शब्द ऐसे एकल पुनर्भुगतान को संदर्भित करेगा पुनर्भुगतान तिथि।
पुनर्भुगतान किश्त की धनराशि	पुनर्भुगतान किश्त की राशि ₹1040 है और अवधि 30+90 days दिन है।
शुल्क और प्रभार (GST सहित)	
प्रसंस्करण शुल्क + जीएसटी (INR)	₹59
ऋण प्रबंधन शुल्क + जीएसटी (INR)	₹0
उपयोग शुल्क(INR)	₹15 *Usage Fee will be waived off.
बीमा शुल्क + जीएसटी (यदि लागू हो) (INR)	₹13.00
अन्य उत्पाद / सेवाएं + जीएसटी (यदि लागू हो) (INR)	₹0
पूर्वभुगतान प्रभार	ऋणकर्ता किसी भी समय या समय-समय पर पुनर्भुगतान तिथि से पहले कुल बकाया पुनर्भुगतान की किश्तों का भुगतान कर सकता है। लुकअप अवधि के बाद पूर्वभुगतान के मामले में ऋणकर्ता पुनर्भुगतान की तिथि तक आनुपातिक ब्याज का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार होगा और वास्तविक पुनर्भुगतान तिथि से पुनर्भुगतान किश्त की देय तिथि तक आनुपातिक ब्याज के बराबर पूर्वभुगतान ब्याज का भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
पुनर्भुगतान शुल्क (INR)	₹1.04

[illegible]

निवल वितरण धनराशि (INR)	₹928												
छूट राशि (INR)	₹4												
कुल पुनर्भुगतान योग्य धनराशि (INR)	₹1109.04												
वार्षिकीकृत प्रतिशत दर (APR-%)	124.2												
पुनर्भुगतान तिथि	कृपया पुनर्भुगतान तिथियां देखें												
लुक-अप अवधि	*ऋण वितरण के समय से 72 घंटे												
अंतिम पुनर्भुगतान तारीख	किश्तों की संख्या : 2 structured installments. The principal repayment will be on 11th Sep,2024 (“ Repayment Date ”) provided that the repayment date of the Amount Payable shall in no event be beyond the Expiry Date. *2nd Repayment Installment will be waived off.												
	<table><tr><th>S No</th><th>Repayment Installment</th><th>Repayment Date</th></tr><tr><td>1</td><td>₹1036</td><td>11th Sep,2024</td></tr><tr><td>2</td><td>₹15</td><td>10th Dec,2024</td></tr><tr><td>Total</td><td>₹1051</td><td></td></tr></table>	S No	Repayment Installment	Repayment Date	1	₹1036	11th Sep,2024	2	₹15	10th Dec,2024	Total	₹1051	
	S No	Repayment Installment	Repayment Date										
	1	₹1036	11th Sep,2024										
	2	₹15	10th Dec,2024										
Total	₹1051												
परिशिष्ट समझौते के अनुसार शुल्क	जैसा कि परिशिष्ट समझौते में सहमति दी गई है।												
संवितरण के लिए ऋणकर्ता का खाता विवरण	बैंक का नाम:AXIS BANK IFSC कोड:: UTIB0003221 खाता नंबर: 921010008352326 बैंक हस्तांतरण पुष्टिकरण नंबर:												
अद्वितीय ऋण पहचान संख्या	MK156D6637ID131805784												

ऋणकर्ता संपर्क विवरण	मुख्य मोबाइल नंबर: 7093165818 वैकल्पिक मोबाइल नंबर: 8247410631 ऋणकर्ता का पता:hno-5-42, kistaram, khammam., KHAMMAM, TELANGANA, 507303 ऋणकर्ता की ईमेल:naveenchowdary27714@gmail.com
Borrower's IP Addresses	
ऋणकर्ता का आईपी पता	02:00:00:00:00:00
ऋणकर्ता का एमएसी(MAC) पता	मोबाइल हैंडसेट यूआईडी: 52e7afcf1a506717 मोबाइल हैंडसेट आईएमईआई: मोबाइल हैंडसेट Google Advertising ID: 69dae1e6-e18c-4ab7-80c6-12569650450c मोबाइल हैंडसेट मॉडल: RMX2151 Aअनुबंध पर हस्ताक्षर के समय औसत लोकेशन: 0.0,0.0
संपादन की तिथि और समय	12th Aug,2024 07:58:29
कानून और अधिकार क्षेत्र गवर्निंग	कोलकाता, पश्चिम बंगाल

किसी ऋण खाते को विशेष उल्लेख खातों (एसएमए)/गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के लिए इस स्वीकृति पत्र की तारीख के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत लागू होता है और यहां उल्लिखित सभी तिथियां उदाहरण के उद्देश्य से हैं।

यदि कंपनी द्वारा लागू मूलधन या ब्याज या किसी अन्य राशि का भुगतान पूरी तरह से या आंशिक रूप से नियत तारीख पर या उससे पहले करने में चूक होती है, तो ऐसे बकाया ऋण खाते को आरबीआई के नियमों के अनुसार एसएमए (विशेष उल्लेखित खाता) या एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

बकाया	वर्गीकरण
30 दिनों तक की अवधि के लिए	एसएमए-0
30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक की अवधि के लिए	एसएमए-1
60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक की अवधि के लिए	एसएमए-2
90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए	एनपीए*

*एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का नवीनीकरण

एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गए ऋण खाते को मानक के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब ऋणकर्ता द्वारा मूलधन, ब्याज और किसी अन्य राशि की पूरी बकाया राशि का भुगतान किया जाता है।

आसान संदर्भ के लिए ऋणकर्ताओं के खाते के एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकरण करने के लिए उदाहरण:

यदि ऋण खाता के पुनर्भुगतान की देय तिथि 31 मार्च, 202X है, तो सांकेतिक एसएमए / एनपीए वर्गीकरण निम्नानुसार होगा:

यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 202X है, और इस तारीख को ऋणदाता द्वारा पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बकाया की तारीख 31 मार्च, 202X होगी।

यदि यह बकाया बना रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 202X के दिन के अंत में एसएमए -1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यानी लगातार बकाया होने के 30 दिन पूरा होने पर। इसी तरह, इस खाते के लिए एसएमए -1 वर्गीकरण की तारीख 30 अप्रैल, 202X होगी।

इसी प्रकार, यदि खाते का बकाया बना रहता है, तो इसे 30 मई, 202X के दिन के अंत में SMA-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और यदि आगे भी बकाया बना रहता है, तो इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार 30 जून, 202X के दिन के अंत में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

 [Digitally Signed](#)